30-7-24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी की एक परिचय बहस सुनी।
वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र
में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन
किया कि मौजा किशोर प०ह० किशोर के
संवत 2050-53 व संवत 2066 से 2069
की जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम पर प्रार्थी के
स्वामित्व की एवं आधिपत्य की आराजी
नं० 195, 196, 243, 244 व 278 स्थित है।
उक्त आराजीयात को लेकर विपक्षीगण प्रार्थी के
साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा करते है जबरन
कब्जा करने की कोशिश कर रहे एवं प्रार्थी
को अपनी आराजी से बेदखल करने की
धमकियां दे रहे है। अतः विपक्षीगण को
मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द करावे कि वे प्रार्थी की उक्त आराजियात
पर जबरन कब्जा नहीं करे, प्रार्थी को काश्त करने
में रुकावट पैदा न करे, बेदखल नहीं करे एवं
किसी अन्य से करावे।
वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली का अवलोकन
किया। रिकार्ड संलग्न अनुसार उक्त वादग्रस्त
आराजीयात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।
अतः विपक्षी सं० 1 व 2 के विरुद्ध अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी की जाती है वे मूल वाद के
निस्तारण तक प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर जबरन
कब्जा न करे, बेदखल करने की कोशिश न करे।
[illegible] नहीं करे व किसी अन्य से करावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न की
जावे।